समाचार

सफाई कार्य में कोताही पर महापौर के कड़े तेवर, ठेकेदार पर लगा 10 हजार रू. का अर्थदण्ड

(महापौर ने कहा–शहर की स्वच्छता व सफाई कार्यो में लापरवाही नहीं होगी क्षम्य, होगी कड़ी कार्यवाही)

कोरबा 10 जून 2025 – शहर के साफ–सफाई कार्यो में कोताही बरतने, समय पर सफाई कार्य न करने तथा निर्धारित संख्या में सफाई कर्मचारी कार्य पर न लगाए जाने को महापौर ने गंभीरता से लिया है, उन्होने कड़े तेवर अपनाते हुए सफाई ठेकेदार कोरबा ग्रीन नर्सरी के ऊपर 10000 रूपये का अर्थदण्ड लगाए जाने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत प्रभारी आयुक्त श्री विनय मिश्रा ने संबंधित ठेकेदार पर 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित करते हुए उक्त अर्थदण्ड की राशि निगम कोष में जमा करने के निर्देश दिए हैं।

यहॉ उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा पं.रविशंकर शुक्ल नगर जोनांतर्गत वार्ड क्र. 23, 24, 25, 26, 27 एवं 30 के सफाई कार्यो का ठेका कोरबा ग्रीन नर्सरी सफाई कार्य एजेंसी को दिया गया है। वार्डो में सफाई कार्यो के प्रति ठेकेदार द्वारा की जा रही कोताही की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने अधिकारियों को निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। पं.रविशंकर शुक्ल नगर जोन स्थित मुड़ापार क्षेत्र का सघन निरीक्षण अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि मुड़ापार वार्ड की नालियों में कचरा भरा हुआ है तथा उसकी नियत समय पर सफाई नहीं कराई गई है, इसी प्रकार मुड़ापार बाजार क्षेत्र में भी सफाई कार्य नहीं कराया गया, न ही उत्सर्जित कचरे का उठाव व परिवहन किया गया। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि निर्धारित संख्या से कम सफाई कर्मचारी कार्य में संलग्न है अर्थात

जितनी संख्या में सफाई कर्मचारी काम पर लगाए जाने चाहिए उससे कम संख्या में कर्मचारी कार्य करते हुए पाए गए, वहीं सफाई ठेकेदार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप सफाई कार्य संपादित नहीं कराए गए थे। इसे गंभीरता से लेते हुए महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किए जाने एवं ठेकेदार को अंतिम चेतावनी देने के निर्देश दिए थे, प्रभारी आयुक्त श्री विनय मिश्रा ने इस पर कार्यवाही करते हुए आदेश जारी कर उक्त सफाई कार्य एजेंसी पर 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया एवं कड़ी चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो अन्यथा अनुबंध के नियम व शर्तो के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

सफाई कार्यो में कोताही बर्दाश्त नहीं – महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने स्वच्छता कार्य एजेंसियों व सफाई ठेकेदारों को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि साफ–सफाई कार्यो में कोताही एवं बरती गई लापरवाही किसी सूरत में क्षम्य नहीं होगी तथा इस पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होने कहा कि शहर की स्वच्छता व साफ–सफाई का कार्य सीधे आमनागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है तथा निगम के मूलभूत कर्तव्यों का एक महत्वपूर्ण अंग है, अतः यह अंतिम रूप से सुनिश्चित कर लें कि निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप साफ–सफाई के कार्य किए जाएं। उन्होने सफाई कार्य एजेंसियों व निगम के स्वच्छता विभाग के अधिकारियों, निरीक्षकों से कहा कि सड़क नाली की निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप सफाई हों, उत्सर्जित कचरे का तुरंत उठाव व परिवहन हो, यह सुनिश्चित कराएं, साथ ही डोर–टू–डोर अपशिष्ट संग्रहण व्यवस्था में और अधिक कसावट लाएं, शत प्रतिशत घरों से कचरे का संग्रहण हों, यह भी सुनिश्चित करें।